न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

दायर दिनांक 16.09.2025

प्रकरण संख्या / 102 / 2025 वाद

उनवान

1. कमरुद्दीन पिता मोहम्मद हुसैन जाति दाउदी बोहरा आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज.)।

1. अख्तर हुसैन पिता हाजीहबीबुन नबी जाति मंसूरी आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. राजकुमार पिता सत्यनारायण जाति सोमानी आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. मिश्रीलाल पिता लखमीचन्द जाति मारु आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. ओमप्रकाश पुत्र केशवदेव जाति बारेगामा निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ के बजाय
   4.1 प्रमोदकुमार पिता ओमप्रकाश जाति बारेगामा निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ।
   4.2 विनोदकुमार पिता ओमप्रकाश जाति बारेगामा निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. शंकरलाल पिता मोहनलाल जाति सुथार निवासी कपासन (विलोपित)।
6. जगदीश पिता बंशीलाल जाति सुथार निवासी कपासन।
7. सरोज पत्नि प्रमोकुमार जाति बारेगामा निवासी कपासन।
8. भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. अनिल पिता गोवर्धनलाल जाति कुमावत निवासी कपासन।
10. ललित कुमार पिता देवीलाल जाति टांक(कलाल) निवासी कपासन।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच —वादी
अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा, श्री आसिफ इकबाल —प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः **19.09.2025**

—ःनिर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय के प्रकरण संख्या 76 / 2025 अनवान जगदीश चन्द्र बनाम कमरुद्दीन अन्तर्गत धारा 9 नियम 13 व धारा 151 सी0पी0सी0 निर्णय दिनांक 11.09.2025 से वाद पत्र 195 / 2008 में प्राथमिक डिक्री व अन्तिम डिक्री दिनांक 17.07.2018 से जारी आदेश निरस्त होने से उक्त मूल वाद की पुनः सुनवाई हेतु जिला अभिलेखागार से पत्रावली तलब की गई। उक्त वाद पत्र पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर नवीन नम्बर 102 / 2025 दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण के पक्षकारान द्वारा मौके कब्जे अनुसार बटवाडे की डिक्री किये जाने हेतु सहमति जाहिर की गई व पुनः प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। साथ ही वकील वादी ने हाजिर होकर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10. सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 4 फौत हो गये है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 4/1 तथा 4/2 है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 5 ने अपना हिस्सा ललित कुमार टांक व अनिल कुमार कुमावत को विक्रय कर दिया है जो प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 से स्वतः पक्षकारान है। उक्त वाद पत्र में दिनांक 16.09.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 19.09.2025

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

प्रस्तुत की गई। जो शा0फा0 की गयी। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया जो स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 19.09.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी इस आशय की दी जाती है की मौजा कपासन पटवार कपासन तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 6, 7, 9 एवं 10 के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात आराजी नम्बर 6999/5774 रकबा 0.40 हैक्टर बी.2, आराजी नम्बर 6877/5773 रकबा 0.25 हैक्टर बी.2, आराजी नम्बर 7485/5774 रकबा 1.84 हैक्टर बी.2, 7486/5774 रकबा 0.21 हैक्टर बी.2 कुल खसरे 4 कुल क्षेत्रफल 2.70 हैक्टर स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 19.09.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. कमरुद्दीन पिता मोहम्मद हुसैन जाति दाउदी बोहरा सा.देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
	6999/5774/1	0.2339	बी.2
2	6877/5773/1	0.0167	बी.2
योग	कुल किता–02	0.2506	

2. जगदीश पिता बंशीलाल जाति सुथार सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	6999/5774/2	0.0798	बी.2
2	6877/5773/2	0.0282	बी.2
योग	कुल किता–02	0.1080	

3. अनिल पिता गोवर्धनलाल जाति कुमावत 1/2 ललित पिता देवीलाल जाति टांक (कलाल) 1/2 सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	6999/5774/3	0.0747	बी.2
2	6877/5773/3	0.0333	बी.2
योग	कुल किता–02	0.1080	

4. मिश्रीलाल पिता लखमीचंद जाति मारु 1/3 राजकुमार पिता सत्यनारायण जाति सौमानी 1/3 सरोज पत्नि प्रमोदकुमार जाति बारेगामा 1/3 सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	6999/5774/4	0.0116	बी.2
2	6877/5773/4	0.1718	बी.2
योग	कुल किता–02	0.1834	

5. मिश्रीलाल पिता लखमीचंद जाति मारु 5318/20500 राजकुमार पिता सत्यनारायण जाति सौमानी 5318/20500 सरोज पत्नि प्रमोदकुमार जाति बारेगामा 1152/20500 प्रमोद कुमार पिता ओमप्रकाश जाति बारेगामा 2273/20500 विनोद कुमार पिता ओमप्रकाश जाति बारेगामा 2273/20500 अख्तर हुसैन पिता हाजीहबीबुन नबी जाति मंसूरी 4166/20500 सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	7485/5774	1.84	बी.2
2	7486/5774	0.21	बी.2
योग	कुल किता–02	2.05	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

(राजेश सुवालका)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

उपखण्ड अधिकारी कपासन जिला-चित्तौड़गढ़